आपका बच्चा

गवाह है

बच्चों के माता–पिता और देखभाल
करने वालों के लिए पुस्तिका

आपका बच्चा

गवाह है

बच्चों के माता–पिता और देखभाल करने वालों के लिए पुस्तिका

स्प्रिंगबर्न (Springburn) के एलबर्ट प्राइमरी स्कूल (Albert Primary School) और पॉलॉकशील्ड्स (Pollokshields) के ग्लेनडेल प्राइमरी स्कूल (Glendale Primary School) के बच्चों को विशेष धन्यवाद।

चित्रः एलेनर मेरेडिथ (Eleanor Meredith),
डनकन जॉर्डनस्टोन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन (Duncan of Jordanstone College of Art and Design),
यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी (University of Dundee)

स्कॉटिश प्रशासन (Scottish Executive) के लिए ऐस्ट्रन (Astron) B41394 06/05 द्वारा निर्मित
स्कॉटिश प्रशासन (Scottish Executive) द्वारा प्रकाशित, जून, 2005
यह दस्तावेज़ 100% पुनरुत्पादित कागज़ पर मुद्रित है और 100% पुनःप्रयोग्य है।

विषय–सूची

01 परिचय

02 सामान्य भय और चिंतायें

06 आपको सहायता और प्रश्नों के उत्तर कौन दे सकता है?

08 अदालत में मामला ले जाना

12 सुनवाई की तारीख

13 अदालतें और अदालती कार्रवाई

14 अदालत में

16 गवाही देना

17 व्यक्ति की पहचान करना

18 गवाही देने के लिए उपलब्ध विशेष उपाय

19 ओट (स्क्रीन) का प्रयोग

20 टेलीविजन लिंक का प्रयोग

21 सहायक का प्रयोग

22 अन्य विशेष उपाय

24 आपका और आपके बच्चे का दृष्टिकोण

25 अदालत में जाना

26 प्रतीक्षा करना

27 अदालत देखने जाना

28 सूचना देना

29 अदालती मामले का परिणाम

30 अन्य उपलब्ध सहायता

31 टिप्पणियाँ

32 याद रखने योग्य बातें

33 उपयोगी संपर्क सूत्रों का विवरण

परिचय

यह पुस्तिका, उन बाल गवाहों के माता–पिताओं और देखभाल करने वालों के लिए है, जिन्हें गवाही देने के लिए अदालत में बुलाये जाने की संभावना है।

- बच्चे का अर्थ है – वह व्यक्ति, जो मुकदमा शुरू होने के समय 16 वर्ष से कम आयु का हो। इसका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में ब्यौरा प्राप्त करने के लिए कृपया अनुरोध करें।
- बच्चा, आपराधिक मामले में या फिर बच्चों के सुनवाई मामले में गवाह हो सकता है।

तीन अलग–अलग लोग हैं, जो आपके बच्चे को गवाह बनने के लिए बुला सकते हैं:

- प्रोक्योरेटर फिस्कल (जिसे फिस्कल या अभियोजन पक्ष के वकील के नाम से भी जाना जाता है)
- बचाव पक्ष के वकील
- बच्चों की सुनवाई के रिपोर्टर।

देखभाल करने वाले का अर्थ है – माता–पिता या कोई अन्य व्यक्ति जिसकी सुपुर्दगी में बच्चा हो। इसका तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से भी हो सकता है, जो अस्थायी तौर पर बच्चे की देखभाल कर रहा हो, जैसे कि फॉस्टर केयरर।

यह पुस्तिका ऐसे मामलों में शामिल सभी माता–पिताओं और देखभाल करने वालों के लिए है।

गवाही देने के लिए अदालत में जाना, किसी के लिए भी बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। बच्चों और युवाओं को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

आपके लिए भी यह चिंता का समय हो सकता है।

हम आशा करते हैं कि अदालत के बारे में आपके जो भी प्रश्न हैं और आपकी या आपके बच्चे की जो भी चिंतायें हैं, उनके लिए पुस्तिका सहायक साबित होगी।

यदि आप भी गवाह हैं तो कुछ अन्य जानकारी भी है, जो प्रोक्योरेटर फिस्कल, वकील या रिपोर्टर आपको दे सकते हैं।

बच्चों को अदालत की तैयारी के लिए मदद करते हुए, आप अपने बच्चे को हरगिज यह न बतायें कि उसे क्या कहना है और उसे उत्तर का अभ्यास भी न करायें।

यदि ऐसा लगेगा कि किसी ने उन्हें यह बताया है कि अदालत में क्या कहना है, तो बच्चों की गवाही की आलोचना हो सकती है।

यदि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें सिखाया गया है तो मामला रद्द भी किया जा सकता है।

सामान्य भय और चिंतायें

अपने बच्चे के बारे में आपकी चिंतायें महत्त्वपूर्ण हैं।

यदि आपको चिंता है कि कानूनी प्रक्रिया के किसी हिस्से से आपके बच्चे पर खराब असर पड़ सकता है, तो ऐसे भी लोग हैं जो आपको सलाह दे सकते हैं और सहायता उपलब्ध करा सकते हैं।

पृष्ठ 6 पर उन लोगों का ब्यौरा है जो आपके प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कर सकते हैं।

हो सकता है, आपका बच्चाः

- किसी अपराध का शिकार हो
- बाल सुनवाई अदालत की कार्रवाई में शामिल हो
- किसी मामले में गवाह हो
- किसी मुकदमें में अभियुक्त हो, तो गवाह के रूप में गवाही दे रहा हो।

कुछ बच्चे गवाह बनने का तनाव आसानी से झेल जाते हैं जबकि कुछ को यह बहुत तनावपूर्ण और कठिन लगता है।

युवा गवाह का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है और आपको उसे अपनी चिंता के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

यहाँ कुछ ऐसी सामान्य बातें हैं, जिनके बारे में बच्चों का कहना है कि उन्हें सबसे अधिक चिंता होती है।

- **अदालत में किसी ऐसे व्यक्ति को देखना, जिससे वे डरते हैंः** इस विषय में प्रोक्योरेटर फिस्कल, वकील या रिपोर्टर से चर्चा करें। अदालत में ऐसी विशेष व्यवस्था करना संभव है कि आपका बच्चा उस व्यक्ति को न देख सके, जिससे वह डरता है। कानून ने अदालतों को ऐसे विशेष अधिकार दिये हैं ताकि वह गवाही देते समय आपके बच्चे की सहायता कर सके। इसका विवरण इसी पुस्तिका में, बाद में दिया गया है।

- **सच बोलने से डरनाः** अपने बच्चे को आश्वासन दीजिये कि गवाह का काम है अदालत की मदद करना और सच बोलने में कोई हर्ज नहीं है।

- **प्रश्नों से कैसे निपटना हैः** अपने बच्चे से कहिये कि प्रश्नों को ध्यान से सुने और जितना चाहें, उतना समय लें। उन्हें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि कोई बात उन्हें समझ में नहीं आती, तो कहने में कोई हर्ज नहीं है। यदि उन्हें कोई बात याद नहीं है, तो यह कहने में भी कोई बुराई नहीं है।

- **यदि वे भ्रमित हो जायें?**: कई बच्चे यह सोचकर शर्माते हैं कि कहीं वे कुछ गलती न कर बैठें या अदालत में लोग उन्हें मूर्ख न समझें। लेकिन अगर उन्हें कोई परेशानी हो या कुछ देर आराम की जरूरत हो तो अदालत को बताने में कोई हर्ज नहीं है।

- **स्कूल में या दोस्तों से क्या कहें**: अगर शिक्षक को पता हो कि आपका बच्चा कठिन समय से गुजर रहा है, तो यह उसके लिए सहायक सिद्ध होगा। अन्य बच्चों के लिए यह जानना जरूरी नहीं है। यह आप पर और आपके बच्चे पर निर्भर है कि आप अन्य लोगों को क्या बतायेंगे।

व्यवहार में परिवर्तन

कुछ बच्चे गवाह बनने के बारे में इतने चिंतित रहते हैं, कि उनका दिन–प्रतिदिन का व्यवहार प्रभावित हो सकता है।

यदि आपके बच्चे को कोई विशेष समस्यायें हो रही है, तो कृपया प्रोक्योरेटर फिस्कल, वकील, रिपोर्टर, पुलिस या सामाजिक कार्यकर्ता को बतायें।

आपको हमेशा अपने बच्चे की बात सुननी चाहिए, भले ही आप यह न समझ पा रहे हों कि वह एक खास तरह से क्यों महसूस कर रहा है।

सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आपके बच्चे को लगना चाहिए कि ऐसा कोई है जिससे वह कह सकता है कि वह चिंतित है, जिससे वह अपने मन की बात कर सकता है और जिससे उसे वह सहायता मिल सकता है, जिसकी उसे जरूरत है।

यदि आपके बच्चे को बहुत सारी समस्यायें हो रही हैं, तो हो सकता है आप उसे मनोवैज्ञानिक इलाज या सलाह दिलाना चाहें। कभी–कभी यह अच्छा भी रहता है। शायद आप इस बारे में अपने डॉक्टर या सामाजिक कार्यकर्ता से बात करना चाहें। इलाज या परामर्श में देर करने की जरूरत नहीं है। यदि इलाज या परामर्श, मुकदमें से पहले शुरू होना है तो प्रोक्योरेटर फिस्कल, वकील या रिपोर्टर को बतायें।

अपने बच्चे को बतायें:

- **सच बोलना हमेशा ठीक रहता है**
- **वे एक बहुत महत्त्वपूर्ण काम कर रहे हैं**
- **अदालत जो भी करने का फैसला करती है, उसके लिए वे ज़िम्मेदार नहीं हैं**

आपके अपने भय और चिंतायें

ऐसे समय में, बहुत से माता–पिताओं को भी सहायता की आवश्यकता होती है। यह अस्वाभाविक नहीं कि कुछ माता–पिता, जो कुछ हुआ है–उसके बारे में क्रोध करें और अपने बच्चे को कैसे सहारा दें – इस बारे में चिंतित हों। अपनी भावनाओं के बारे में परेशान या शर्मिंदा न हों। ऐसे लोग हैं, जिनसे आप सहायता और सलाह माँग सकते हैं।

कभी–कभी, बच्चों के सामने रहते, अपनी भावनाओं को छिपाना कठिन हो सकता है। यदि आपका बच्चा सोचता है कि आप नाराज या परेशान हैं, तो वह यह समझकर चिंतित हो सकता है कि यह उसी का दोष है। इससे उसकी चिंता और बढ़ सकती है। अपने बच्चे को आश्वासन दें कि आप उससे नाराज नहीं हैं।

आप और आपका बच्चा, दोनों ही शायद ज्यादा आश्वस्त और कम चिंतित महसूस करेंगे, यदि आपको यह मालूम हो कि मुकदमें से पहले और उसके दौरान क्या–क्या होगा। यदि आपको यह पुस्तिका दी गई है तो आपके बच्चे या बच्चों को भी, उनकी आयु के अनुसार एक **गवाही से संबंधित पुस्तिका** दी गई होगी।

इस तरह की दो पुस्तिकायें हैं: एक छोटे बच्चों के लिए और एक 15 वर्ष की आयु तक के युवाओं के लिए।

यह महत्त्वपूर्ण है कि आपका बच्चा अपनी पुस्तिका को पढ़े या कोई उसे पढ़कर सुनाये और गवाह बनने का क्या तात्पर्य है, यह समझने में उसकी मदद करें।

आपको सहायता और प्रश्नों के उत्तर कौन दे सकता है?

प्रोक्योरेटर फिस्कल: प्रोक्योरेटर फिस्कल एक वकील है जो यह फैसला करता है कि कोई आपराधिक मामला अदालत में ले जाया जाये या नहीं। वह आपके कुछ सवालों के जबाब दे सकता है।

पीड़ित सूचना एवं परामर्श (वीआईए) [Victim Information and Advice (VIA)]: वीआईए (VIA) के किसी व्यक्ति नें, जो प्रोक्योरेटर फिस्कल के साथ काम करता है, आपको कोई पत्र या कुछ अन्य पुस्तिकायें भेजी होंगी। उनकी पुस्तिकायें आपको विभिन्न अदालती प्रक्रियाओं के बारे में बतायेंगी। मुकदमे के बारे में जानकारी के लिए और अपने बच्चे की चिंताओं और कठिनाइयों के बारे में बात करने के लिए आप वीआईए (VIA) से संपर्क कर सकते हैं।

बच्चों का रिपोर्टर: बाल अदालतों के मामलों में बच्चों का रिपोर्टर, बच्चों के हितों की रक्षा करता है। कुछ मामलों में एक हितरक्षक (safeguarder) भी होता है, जो बच्चों के हितों की रक्षा करता है। वे आपके कुछ सवालों के उत्तर देने में समर्थ होंगे और आपके लिए अतिरिक्त सहायता, संभवतः किसी सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से, की भी व्यवस्था कर सकेंगे।

वकील: कभी–कभी फौजदारी मुकदमों में या बाल अदालतों के मामलों में, वकील किसी बच्चे को गवाह के रूप में बुला सकता है। वकील को आपको यह सूचना देनी चाहिए और अधिक सहायता और सलाह के लिए आपको अदालत की गवाह सेवा के पास भेजना चाहिए।

पुलिस: हो सकता है कि आपके बच्चे ने किसी पुलिस अधिकारी से बात की हो। वे आपकी यह जानने में भी मदद कर सकते हैं कि मुकदमे में अब क्या हो रहा है।

सामाजिक कार्यकर्ता: हो सकता है कि आपके बच्चे ने किसी सामाजिक कार्यकर्ता से भी बात की हो। सामाजिक कार्यकर्ता उन बच्चों (और वयस्कों) की सहायता कर सकते हैं, जिन्हें अतिरिक्त मदद की जरूरत हो। आपका स्थानीय सामाजिक कार्य कार्यालय, आपको अन्य सहायता एजेंसियों या परामर्शदाताओं के बारे में भी कुछ सलाह दे सकता है।

पीड़ित सहायता, स्कॉटलैंड की गवाह सेवाः प्रत्येक शेरिफ अदालत और हाईकोर्ट में एक गवाह सेवा होती है जो किसी भी गवाह, माता–पिता या देखभाल करने वाले को, अनुरोध करने पर सलाह, सहायता और समर्थन उपलब्ध कराती है। गवाह सेवा आमतौर पर अदालत में जाने की भी व्यवस्था करती है। वीआईए (VIA) ने भी आपको इस सेवा के बारे में जानकारी दी होगी।

पीड़ित सहायता, स्कॉटलैंड की समुदाय आधारित सेवायेंः पीड़ित सहायता के लिए ऐसे प्रशिक्षित स्वयंसेवक होते हैं, जो पीड़ितों और कुछ गवाहों को भावनात्मक तथा व्यावहारिक समर्थन और जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। इनमें बच्चे और युवा गवाह तथा उनके माता–पिता शामिल हैं।

इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर आप उन लोगों और एजेंसियों के नाम और फोन नम्बर लिख सकते हैं, जो आपकी सीधे–सीधे सहायता कर रहे हैं।

मामले को अदालत में ले जाना

यदि आपका बच्चा एक गवाह है तो इसका मतलब है कि:

- वह किसी अपराध का शिकार है;
- उसने किसी अपराध से संबंधित कुछ देखा या सुना है अथवा
- बच्चों की सुनवाई के किसी मामले में, वह, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा है।

हो सकता है, आपका बच्चा पुलिस को या किसी वकील को पहले ही बयान दे चुका हो। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट, प्रोक्योरेटर फिस्कल तथा/अथवा बच्चों के रिपोर्टर को भेज दी होगी।

प्रोक्योरेटर फिस्कल, स्वतंत्र रूप से यह फैसला करता है कि कोई आपराधिक मामला, अदालत में भेजा जाये या नहीं।

बच्चों का रिपोर्टर, स्वतंत्र रूप से यह फैसला करता है कि क्या कोई मामला बच्चों की सुनवाई में भेजने की जरूरत है या नहीं। इस सुनवाई में मामले को अदालत में भेजने का फैसला किया जा सकता है।

आपराधिक मामला, आमतौर पर अदालत में जाता है यदि इस बात के पर्याप्त सबूत होने की संभावना हो कि एक व्यक्ति विशेष द्वारा कोई अपराध किया गया है। यदि वह व्यक्ति "निर्दोष" होने का दावा करता है, तो मुकदमा चलाया जायेगा और गवाहों से गवाही देने की उम्मीद की जायेगी। जज और शायद जूरी भी सभी गवाहियों को सुनेंगे और फैसला करेंगे कि अभियुक्त दोषी है या नहीं। यदि अभियुक्त को दोषी पाया जाता है, तो जज उसे सजा देने के बारे में फैसला करेंगे। आप इन अदालती कार्रवाइयों के बारे में वीआईए (VIA) की पुस्तिकाओं में पढ़ सकते हैं।

बच्चों की सुनवाई मामला तभी अदालत में जाता है यदि उसमें शामिल लोग इस बारे में सहमत न हों कि क्या हुआ था या यदि बच्चा इतना छोटा हो कि कुछ समझ न सके। अदालत में, शेरिफ सभी गवाहियों को सुनेंगे और यह फैसला करेंगे कि क्या कुछ हुआ है या बच्चों के बारे में चिंतायें साबित हुई हैं या नहीं। यदि शेरिफ, रिपोर्टर के मामले से सहमत होते हैं तो मामला वापस बच्चों की सुनवाई के पास भेजा जायेगा ताकि यह फैसला किया जा सके कि बच्चे के लिए किस मदद की जरूरत है। शेरिफ अंतिम फैसला नहीं करते, बच्चों की दूसरी सुनवाई में यह फैसला किया जाता है।

प्री–कॉग्निशनः जब प्रोक्योरेटर फिस्कल, एक आपराधिक मामले कि तैयारी कर रहे होते हैं तो वे आपके बच्चे से मिलने और बात करने की व्यवस्था के लिए आमतौर पर आपको एक पत्र या 'साइटेशन' भेजेंगे। इस मुलाकात में लिये गये बयान को 'प्री–कॉग्निशन' कहते हैं।

बच्चों की सुनवाई के मामले में रिपोर्टर, आमतौर पर, मामले की तैयारी के लिए रिपोर्टों और बयानों पर निर्भर होते हैं, लेकिन कभी–कभी वे प्री–कॉग्निशन या सामान्य तैयारी के लिए आपके बच्चे से भी मिलना चाह सकते हैं। कभी–कभी आपके बच्चे के हितों की रक्षा के लिए, एक हितरक्षक (safeguarder) नियुक्त किया जा सकता है और हो सकता है, वह तैयारी में मदद के लिए आपके बच्चे से मिलने आये।

अन्य वकील भी आपके बच्चे से बात करने के लिए आपसे संपर्क कर सकते हैं। यह सामान्य प्रक्रिया है और मददगार साबित हो सकती है। यह आपको और आपके बच्चे को तय करना है कि ये मुलाकातें कहाँ हों। हो सकता है, आप वकीलों को अपने घर पर बुलाना न चाहें, या यही आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक हो।

एक या अधिक वकील आपसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा इनमें से किसी मुलाकात के बारे में परेशान है तो आप अपने बच्चे को उनसे मिलाने से इनकार भी कर सकते हैं।

इस विषय में आपको उस व्यक्ति से अवश्य चर्चा करनी चाहिए, जिसने आपके बच्चे को गवाह के रूप में बुलाया है।

आमतौर पर किसी भी इंटरव्यू के दौरान आपके बच्चे के साथ किसी सहायक व्यक्ति का रहना उपयुक्त होता है। यह आपको सोचना चाहिए कि आपका बच्चा किसे सहायता के लिए साथ रखना चाहेगा। उदाहरण के लिए, वह आप हो सकते हैं, या कोई अन्य रिश्तेदार, पारिवारिक मित्र, सामाजिक कार्यकर्ता या वीआईए (VIA) से कोई व्यक्ति भी हो सकता है। कभी–कभी, किसी ऐसे व्यक्ति का सहायक व्यक्ति होना उपयुक्त नहीं होता, जो खुद भी उस मामले में गवाह हो।

कभी–कभी अभियुक्त का कोई वकील नहीं होता और वह अपने मामले की तैयारी के लिए गवाहों को इंटरव्यू करने की माँग कर सकता है। यदि ऐसा होता है, और आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें, तो आपको उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए, जिसने आपके बच्चे को गवाह के रूप में बुलाया है।

आपको यह जानना आवश्यक है कि कानून अभियुक्त को आपके बच्चे को इंटरव्यू करने की अनुमति नहीं देता, यदिः

- आपका बच्चा 12 वर्ष से कम आयु का है;
- अभियुक्त पर हिंसा या अशोभनीय व्यवहार से जुड़े किसी अपराध का आरोप है; अथवा
- आपका बच्चा किसी भी आयु में अशोभनीय व्यवहार का शिकार रहा है।

अदालत की तारीख़

प्री–कॉग्निशन के बाद आपके बच्चे को एक और साइटेशन या पत्र मिलेगा, जिसमें मुकदमा शुरू होने की तारीख दी गई होगी।

यह साइटेशन (हवाला) गवाह के रूप में अदालत में उपस्थित होने की औपचारिक सूचना है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

यह आवश्यक है कि आपके बच्चे को मालूम हो कि उसे साइटेशन में बताई गई तारीख पर अदालत पहुँचना है।

यदि इस बात की कोई महत्त्वपूर्ण वजह है कि आपके या आपके बच्चे के लिए साइटेशन में दी गई तारीख को अदालत पहुँचने में कोई कठिनाई है, जैसे कि यदि आपके बच्चे को उस दिन स्कूल में कोई परीक्षा देनी है, तो आपको तत्काल इसकी सूचना प्रोक्योरेटर फिस्कल, रिपोर्टर या वकील को देनी चाहिए।

अदालतें और अदालती कार्रवाई

पूरे स्कॉटलैंड में अनेक अदालतें हैं और वे विभिन्न प्रकार के मामले निपटाती हैं।

गंभीर कार्रवाईः ये आपराधिक (फौजदारी) मामले हैं जहाँ दोष तय करने के लिए जूरी होती है। जूरी का गठन जनता के 15 सदस्यों से होता है। उन्हें सारी गवाही सुननी होती है और फैसला करना होता है।

संक्षिप्त कार्रवाईः ये आपराधिक मामले हैं, जहाँ जूरी नहीं होती। इन मामलों में फैसला शेरिफ करता है।

बच्चों की सुनवाई संबंधी अदालती कार्रवाईः ये अन्य मामलों की अपेक्षा कम औपचारिक होती हैं। अक्सर ऐसे मामले अदालतों की अपेक्षा छोटे कमरों में सुने जाते हैं और इनमें जनता मौजूद नहीं होती। जूरी भी नहीं होती और फैसला हमेशा शेरिफ करता है।

अदालत में

जज या शेरिफ़: जज या शेरिफ़ सभी अदालती कार्रवाइयों के प्रभारी होते हैं। उनका काम यह सुनिश्चित करना होता है कि सब कुछ कानून के अनुसार निष्पक्ष ढंग से हो और अदालत के नियमों और कानूनी कार्रवाइयों का पालन किया जाये।

प्रोक्योरेटर फिस्कल या एडवोकेट डेप्यूट: यह अभियोजन पक्ष का वकील है, जिसने आपराधिक मुकदमें में आपके बच्चे को गवाह के रूप में बुलाया होगा। वे अदालत में सवाल पूछेंगे ताकि गवाह अपनी गवाही दे सकें।

रिपोर्टर: वह व्यक्ति है जो बच्चों कि सुनवाई के मामलों में बच्चों के हितों की रक्षा करता है और जिसने आपके बच्चे को गवाह बनने को कहा होगा। वे अदालत में सवाल पूछेंगे ताकि आपका बच्चा अपनी गवाही दे सके।

अन्य वकील: अदालत में एक या एक से अधिक अन्य वकील हो सकते हैं। वे गवाह की गवाही के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। हो सकता है, यह वकील वह व्यक्ति हो जिसने आपके बच्चे को गवाह बनने को कहा हो।

अभियुक्त: आपराधिक मामले में, कानून तोड़ने के अभियोग वाला व्यक्ति बराबर अदालत में मौजूद होगा और सब कुछ देख और सुन सकेगा।

जनता: आपराधिक मामले आमतौर पर जनता के लिए खुले होते हैं अतः हो सकता है अदालत में पीछे की ओर लोग बैठे हों और गवाहों और वकीलों को देख–सुन रहे हों। जब अदालत में बच्चों या युवाओं की गवाही होनी हो, खासतौर पर तब जबकि उनकी गवाही अशोभनीय व्यवहार के बारे में हो, तो जज अदालत से जनता के सभी सदस्यों को बाहर जाने को कह सकते हैं। आपका बच्चा इस बारे में क्या सोचता है – यह किसी को बता दें।

बच्चों की सुनवाई के मामले में जनता के सदस्यों को मौजूद रहने की अनुमति नहीं है।

बच्चों की सुनवाई के मामलों में, अदालत में केवल परिवार के सदस्य या मामले से सीधे तौर पर जुड़े व्यक्ति ही उपस्थित रह सकते हैं। यदि कोई हितरक्षक (safeguarder) नियुक्त किया गया है, तो वह भी उपस्थित रह सकता है।

उन मामलों में, जो बच्चों की सुनवाई के मामले नहीं हैं, जज और वकील आमतौर पर अपने कपड़ों के ऊपर गाउन और विग पहनते हैं। जब कोई युवा गवाह होता है तो जज और वकीलों से अक्सर कहा जाता है कि वे अपने गाउन और विग न पहनें ताकि वे कुछ कम औपचारिक लगें। आपको अपने बच्चे से पूछना चाहिए कि क्या वह ऐसा चाहेगा।

गवाही देना

अदालत में कुछ वयस्क व्यक्ति शायद पहले भी आपके बच्चे से मिल चुके हों, जैसे कि प्रोक्योरेटर फिस्कल या रिपोर्टर। यह संभव है कि आपका बच्चा, अपनी गवाही देना शुरू करने से पहले उन सब वकीलों से मिल ले, जो उससे सवाल पूछने वाले हैं। इससे आपका बच्चा ज्यादा आराम महसूस कर सकता है।

यदि आपको लगता है कि सभी वकीलों से मिलना आपके बच्चे की मदद करेगा तो उस व्यक्ति से कहें जिसने साइटेशन भेजा है।

गवाहों को अदालत में अपनी गवाही देने के लिए एक–एक करके बुलाया जाता है।

यदि आपका बच्चा नहीं चाहता कि अदालत में उसका पता जोर से पढ़कर सुनाया जाये तो प्रोक्योरेटर फिस्कल, रिपोर्टर या वकील को यह बताना याद रखें।

एक्जामिनेशन और क्रॉस एक्जामिनेशन

प्रोक्योरेटर फिस्कल या रिपोर्टर और प्रत्येक वकील को प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा ताकि वे आपके बच्चे को, जो कुछ वह जानता है, उसे कहने में मदद कर सके और यह जाँच सके कि वह सच बोल रहा है। इसे एक्जामिनेशन और क्रॉस एक्जामिनेशन कहते हैं।

यह आवश्यक है कि आपका बच्चा यह समझता हो कि उसे बस सच बोलते रहना है।

कुछ प्रश्न बहुत व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और यह आवश्यक है कि आपका बच्चा यह जानता हो कि उन प्रश्नों के उत्तर देने में कोई बुराई नहीं है, भले ही उसे शर्मनाक शब्दों का प्रयोग करना पड़े।

आपके बच्चे को गवाही देने में मदद के लिए कई विशेष उपाय भी हैं। उन विशेष उपायों के बारे में इस पुस्तिका में और बच्चों तथा युवाओं की पुस्तिका में भी बताया गया है। आपको अपने बच्चे की पुस्तिका भी पढ़नी चाहिए और उसे यह समझने में मदद देनी चाहिए कि गवाह बनने का क्या अर्थ है। इससे उनमें ज्यादा विश्वास पैदा होगा।

आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका बच्चा यह समझे कि यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि उसे प्रश्न समझ में नहीं आया है। आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह यह भी समझे कि अगर अदालत में लोग उसके उत्तर को ठीक से नहीं समझ रहे हैं तो वह उन्हें रोक सकता है।

व्यक्ति को पहचानना

हो सकता है, आपके बच्चे ने अदालत में आने से पहले ही किसी व्यक्ति की पहचान की हो। उसने शिनाख्त परेड में या ऐसी ही किसी अन्य कार्रवाई में हिस्सा लिया हो। यदि ऐसा है, तो उसे अदालत में फिर से यह नहीं करना पड़ेगा।

लेकिन कुछ मामलों में, हो सकता है, आपके बच्चे को अदालत में उस व्यक्ति को 'पहचानना' पड़े, जिसके बारे में वह बोल रहा है।

यह विभिन्न तरीकों से हो सकता है।

- आपके बच्चे से कहा जा सकता है कि वह अदालत में चारों ओर देखे और अगर वह व्यक्ति दिखाई दे तो उसकी ओर इशारा करे।
- किसी और व्यक्ति से गवाह बनने को कहा जा सकता है ताकि वह अदालत को यह बता सके कि आपका बच्चा किसके बारे में बात कर रहा है। यह उस स्थिति में हो सकता है, जब बच्चा उस व्यक्ति को जानता हो और उसे नाम से पहचान सकता हो।

गवाही देने के लिए उपलब्ध विशेष उपाय

कानून किसी बच्चे को गवाह बनने मे मदद के लिए उपलब्ध सहायता उपायों की संख्या बढ़ा सकता है ताकि वह आपराधिक और बच्चों की सुनवाई, दोनों तरह के मामलों में ज्यादा अच्छी तरह से हिस्सा ले सके। **इन्हें 'विशेष उपाय' कहा जाता है।**

कुछ विशेष उपाय प्रचलित हैं और आजकल सभी बाल गवाहों को उनके प्रयोग का अधिकार है।

यह उपाय हैं:

- अदालत के साथ टेलीविजन लिंक का प्रयोग
- अदालत के अंदर ओट (स्क्रीन) का प्रयोग
- टेलीविजन लिंक या ओट के साथ सहायक व्यक्ति का प्रयोग।

आपके बच्चे से पूछा जायेगा कि जब वह अदालत में गवाही देता है, तब ओट का प्रयोग करना पसंद करेगा या टीवी लिंक का। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि आपके बच्चे को यह समझने का मौका मिले कि ये विशेष उपाय क्या हैं और वह बता सके कि वह किसका इस्तेमाल करना पसंद करेगा।

प्रोक्योरेटर फिस्कल, रिपोर्टर या वकील का, आपको और आपके बच्चे को विशेष उपायों के बारे में बताना जरूरी है।

आपके विचारों पर ध्यान दिया जायेगा।

आपको यह बताया जाना जरूरी है कि किन विशेष उपाय (उपायों) पर सहमति हुई है ताकि आप अपने बच्चे को उसके लिए तैयार कर सकें।

ओट (स्क्रीन) का प्रयोग

अदालत में ओट का प्रयोग सहायक हो सकता है यदि आपका बच्चाः

- अदालत में जाने और जज तथा वकीलों, और संभवतः जूरी भी, के सामने बोलने के बारे में चिंतित नहीं है,
- लेकिन अभियुक्त या किसी अन्य व्यक्ति को देखने के बारे में चिंतित है, जिनके बारे में वह गवाही दे रहा है।

यह ओट, गवाह के कठघरे के पास 'कमरे को बाँटने वाली' स्क्रीन या परदे के रूप में आपके बच्चे और अभियुक्त या अन्य व्यक्ति के बीच लगाई जाती है। आपका बच्चा ओट के दूसरी तरफ बैठे किसी व्यक्ति को नहीं देख सकता।

यह आवश्यक है कि आपके बच्चे को पता हो कि ओट के दूसरी ओर बैठे अभियुक्त या अन्य व्यक्ति, उसे गवाही देते समय टेलीविजन के मॉनिटर पर देख सकेंगे।

यदि आपका बच्चा सहायक व्यक्ति का साथ चाहता है तो वह ओट का प्रयोग होने पर भी उसके साथ बैठ सकता है।

टेलीविजन लिंक का प्रयोग

अगर आपके बच्चे को लोगों से भरी अदालत में जाने के बारे में खास परेशानी होने की संभावना है, तो उसके लिए टेलीविजन लिंक का प्रयोग करना बेहतर रहेगा।

यह सहायता करेगा यदि:

- उसे बहुत से अजनबी लोगों के सामने बोलने में ज्यादा शर्म आती है;
- वह अभियुक्त या अन्य व्यक्ति के साथ उसी कमरे में मौजूद नहीं रहना चाहता।

टेलीविजन लिंक कमरा, अदालत के कमरे से अलग होता है। यह आमतौर पर उसी इमारत में होता है, जिसमें अदालत है लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के कुछ बच्चों और कुछ अन्य बच्चों के लिए भी अलग इमारत में स्थापित किया जा सकता है, यदि उनके अदालत में न आने का कोई विशेष कारण हो।

टेलीविजन को अदालत के कमरे से जोड़ा जाता है जहाँ जज और वकीलों के पास टेलीविजन मॉनिटर और कैमरे होते हैं। सभी कैमरों को जज नियंत्रित करते हैं।

जब उन्हें चालू किया जाता है तो आपका बच्चा जज या वकीलों को, एक समय में एक करके देख सकता है और वे आपके बच्चे को देख–सुन सकते हैं।

यह सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा यह समझता है कि टेलीविजन लिंक के कारण हालाँकि वह अभियुक्त या अन्य व्यक्ति को देख नहीं सकता, लेकिन जब वह अपनी गवाही दे रहा होगा, तब अभियुक्त या अन्य व्यक्ति उसे देख सकते हैं।

सहायक व्यक्ति का प्रयोग

यदि आपके बच्चे ने ओट या टेलीविजन लिंक को चुना है, तब भी अदालत यह जानना चाहेगी कि क्या उसे अपने गवाही देने के समय, अपने साथ किसी सहायक व्यक्ति के बैठने की जरूरत है।

जब आपके बच्चे से सवाल पूछे जा रहे हों, तब किसी व्यक्ति के पास बैठे रहने से उसे कम घबराहट हो सकती है। वह व्यक्ति आपके बच्चे की किसी प्रश्न का उत्तर देने में मदद नहीं कर सकता और न उसे टोक सकता है या यह बता सकता है कि क्या कहना है। वह आपके बच्चे को गवाही देने से पहले सहायता और ढाँढस दे सकता है और अवकाश के समय उसके पास रह सकता है।

समर्थक व्यक्ति किसे बनाया जाये, यह फैसला करना काफी कठिन हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि आपका बच्चा इस बारे में क्या महसूस करता है। वह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिससे आपका बच्चा पहले मिल चुका हो और उसके साथ आरामदेह महसूस करता हो, ताकि उसे गवाही देने के बारे में कम घबराहट हो।

अधिकतर माता–पिता या देखभाल करने वाले मान लेते हैं कि वे ही सबसे अच्छे सहायक होंगे और बच्चे से पूछताछ के दौरान उन्हें ही उसके पास बैठना चाहिए। लेकिन, कुछ ऐसी बातें हैं, जिन पर आपको विचार करना चाहिएः

- यदि आपको भी गवाह के रूप में बुलाया गया है तो आप तब तक अपने बच्चे के सहायक व्यक्ति नहीं बन सकते जब तक आप अपनी गवाही पूरी नहीं कर लेते;
- कुछ बच्चे अटपटा महसूस कर सकते हैं और आपको मामले का सारा ब्यौरा सुनने से बचाना चाह सकते हैं। हो सकता है कि आपका बच्चा किसी अन्य रिश्तेदार या किसी सहायता एजेंसी के किसी व्यक्ति के साथ ज्यादा इतमीनान महसूस करे;
- हो सकता है कि कुछ बच्चों को यह बात ज्यादा आश्वस्त करे कि आप दूसरे कमरे में उनका इंतजार कर रहे हैं;
- हो सकता है कि आप मामले का बहुत–सा ब्यौरा पहले से ही जानते हों और अदालत को ऐसा लगे कि आप अपने बच्चे के बयान को प्रभावित कर सकते हैं।

आपको यह भी विचार करना चाहिए कि अपने बच्चे की गवाही को सुनकर आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। यदि आप अदालत में परेशान हो सकते हैं तो उसकी वजह से आपका बच्चा भी परेशान हो सकता है इसलिए आप यह फैसला कर सकते हैं कि सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप दूसरे कमरे में प्रतीक्षा करें।

आपराधिक मामलों में यह बहुत ही आम बात है कि गवाह सेवा का कोई प्रतिनिधि, गवाही देते समय बच्चों के साथ बैठता है। अन्य सहायक व्यक्तियों में किसी अन्य संगठन से कोई व्यक्ति, कोई और रिश्तेदार, पारिवारिक मित्र, सामाजिक कार्यकर्ता या शिक्षक हो सकते हैं।

ऐसे मामलों में गवाह सेवा या वीआईए (VIA), आमतौर पर, फैसला लेने में आपकी या आपके बच्चे की मदद कर सकते हैं।

बच्चों की सुनवाई के मामलों में रिपोर्टर या हितरक्षक फैसला करने में आपकी या आपके बच्चे की मदद करेंगे।

यदि आपका बच्चा ओट या टेलीविजन लिंक का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो भी वह अदालत में अपने साथ कोई सहायक चाह सकता है और इसके लिए आपको उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए, जिसने उसे गवाह बनने को कहा है।

अन्य विशेष उपाय

कुछ अन्य विशेष उपाय भी हैं, जो आपके बच्चे की मदद कर सकते है लेकिन वे अदालत के विवेकाधीन हैं। वकील, वीआईए (VIA), गवाह सेवा या रिपोर्टर आपको उनके बारे में और मामले में उनकी उपयुक्तता के बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं।

यदि आपके बच्चे और पुलिस के बीच साक्षात्कार का वीडियो या ऑडियो टेप या लिखित बयान है, तो जज से कहा जा सकता है कि वे उसे अदालत में चलाये जाने या पढ़े जाने की अनुमति दें।

आपके बच्चे से कहा जा सकता है कि उसे ध्यान से देखे या सुने और फिर उससे और सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके लिए वह ओट या टेलीविजन लिंक को चुन सकता है।

इस विशेष उपाय को 'पूर्व बयान' का प्रयोग कहा जाता है।

नवंबर 2005 से, कुछ मामलों में, प्रोक्योरेटर फिस्कल, रिपोर्टर या वकील अदालत से अनुरोध कर सकते हैं कि मुकदमा शुरू होने से पहले आपके बच्चे की गवाही सुन ली जाये। यदि मुकदमा लंबा खिंचने वाला है तो इससे मदद हो सकती है।

इसे आयोग द्वारा गवाही लेना कहा जाता है।

यदि वे इस पर विचार कर रहे हैं तो वे आपसे बात करेंगे और समझायेंगे कि इसका क्या अर्थ है और यह कैसे किया जायेगा।

आपका और आपके बच्चे का दृष्टिकोण

सभी बच्चों से यह पूछा जाना जरूरी है कि वे गवाही देते समय कौन से विशेष उपाय का प्रयोग करना चाहते हैं। आपसे भी आपकी राय पूछी जायेगी।

यह बड़ी सामान्य बात है कि कौन से विशेष उपाय का प्रयोग करना है– इसे लेकर बच्चे और उसके माता–पिता या देखभाल करने वाले के बीच आम राय नहीं होती।

माता–पिता या देखभाल करने वाले के लिए अपने बच्चे को यथासंभव संरक्षण देना बड़ी स्वाभाविक बात है लेकिन कभी–कभी आपका बच्चा आपकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। अदालत इसी बात पर विशेष ध्यान देती है कि आपका बच्चा क्या चाहता है।

अपने बच्चे को प्रोक्योरेटर फिस्कल, रिपोर्टर, वीआईए (VIA) या वकील को यह बताने के लिए प्रोत्साहित करें कि उसे किन बातों की चिंता है। तभी वे विभिन्न उपायों के बारे में कुछ और सलाह दे सकेंगे और आपके बच्चे की यह फैसला करने में मदद कर सकेंगे कि कौन–सा उपाय उसके लिए श्रेष्ठ है।

अपनी गवाही संबंधी पुस्तिका पढ़ने के बाद हो सकता है आपके बच्चे ने पहले ही कुछ सोच लिया हो, या कुछ तय करने से पहले उसे अदालत देखने की जरूरत हो। अदालत को और विशेष उपायों को सीडी रॉम पर देखना भी संभव है।

याद रखें, वयस्क लोग क्या सोचते हैं – इससे बच्चे प्रभावित हो सकते हैं और आपको अपने बच्चे की बातें सुनने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उसके फैसले को प्रभावित करने की।

हो सकता है कि बड़े बच्चे या युवा किसी भी विशेष उपाय का प्रयोग न करना चाहते हों बल्कि बिना किसी अतिरिक्त सहायता के अदालत में जाना चाहें। यदि आपका बच्चा किसी विशेष उपाय का प्रयोग नहीं करना चाहता, तो उसकी इच्छा पर विचार किया जायेगा।

बच्चे, कौन–सा विशेष उपाय अपनाना है, इस बारे में अपनी राय बदल भी सकते हैं और आपको यह सूचना संबंधित लोगों तक पहुँचा देनी चाहिए।

अदालत में जाना

अधिकतर गवाह अदालत की इमारत में मुख्य सार्वजनिक दरवाजे से प्रवेश करते हैं। जब आपका बच्चा वहाँ पहुँचता है तो उसे शायद अन्य गवाहों के साथ मुख्य प्रतीक्षा कक्ष में बैठने को कहा जायेगा।

यदि आप सोचते हैं कि अदालत में बहुत से लोगों को देखने से आपके बच्चे को परेशानी हो सकती है और अन्य गवाहों के साथ बैठने से वह घबरा जायेगा, तो आपको चाहिए कि क्या वहाँ कोई अलग दरवाजा और निजी प्रतीक्षा कक्ष है।

इसके लिए पहले से व्यवस्था की जा सकती है और अदालत में गवाह सेवा के कर्मचारी हमेशा आपकी भरसक मदद करेंगे। यह ऐसी बातें हैं, जिनके बारे में आपको वीआईए (VIA) या गवाह सेवा या रिपोर्टर से बात करनी चाहिए।

आपराधिक मामलों में, यदि आप सहायक व्यक्ति नहीं हैं, और न ही गवाह हैं, तो भी आप अदालत में जाने की सोच सकते हैं ताकि आप अदालत के सार्वजनिक हिस्से में जा सकें और जो कुछ कहा जा रहा है, उसे सुन सकें। लेकिन इस बारे में कोई फैसला करने से पहले, यह जानने की कोशिश करें कि आपका बच्चा इस बारे में क्या सोचता है। कुछ मामलों में अदालत, बच्चों के गवाही देते समय सार्वजनिक हिस्से को खाली करा देती है।

आपको अदालत के कर्मचारियों से मालूम कर लेना चाहिए कि क्या आप सार्वजनिक हिस्से में बैठ सकते हैं।

बच्चों की सुनवाई के मामलों में, यदि मामला आपके बच्चे के बारे में है और आप संबद्ध लोगों में से एक हैं, तो आपको वहाँ रहने का अधिकार होगा। यदि आप भी गवाही दे रहे हैं तो आपको अपने बच्चे के गवाही देने से पहले यह करना होगा। आप रिपोर्टर के साथ स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं।

प्रतीक्षा करना

यह सरकारी नीति है कि बाल–गवाह वाले मामले को प्राथमिकता दी जाये और बच्चे के लिए प्रतीक्षा का समय कम से कम हो।

मामलों को जितनी जल्दी संभव हो, निपटाया जाता है लेकिन कुछ आपराधिक मामलों को अदालत तक ले जाने में लंबा समय लग सकता है। आपको तारीख दे दिये जाने के बाद भी बहुत से विभिन्न कारणों से मामला आगे बढ़ाया जा सकता है। यह अपरिहार्य हो सकता है।

बच्चों की सुनवाई के मामलों में विशेष समय–अवधि लागू होती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि मामले की सुनवाई यथाशीघ्र हो।

आप जानते ही होंगे कि अदालतें बहुत व्यस्त होती हैं और मामला शुरू होने से पहले बहुत–सी योजनाओं और तैयारियों की जरूरत होती है।

कुछ समस्यायें ऐसी होती हैं, जिनके बारे में पहले से नहीं जाना जा सकता – जैसे कि किसी का बीमार पड़ जाना। ऐसी किसी देर के कारण गवाहों और उनके परिवार वालों का खीझना स्वाभाविक है।

कभी–कभी समस्यायें उसी दिन पैदा हो सकती हैं। आपसे कहा जा सकता है कि किसी और दिन आयें। बाल गवाहों के लिए अदालत प्रतीक्षा का समय कम से कम रखने की कोशिश करेगी।

यदि आप देर के बारे में चिंतित हैं, तो आपको प्रोक्योरेटर फिस्कल, रिपोर्टर या वकील से बात करनी चाहिए।

एक बार मामला शुरू हो जाने के बाद भी देर हो सकती है और कुछ बच्चों को गवाही देने के लिए अपनी पारी का काफी समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसका कारण यह हो सकता है कि आपके बच्चे से पहले गवाही देने वाला व्यक्ति आशा से अधिक समय ले रहा है।

बच्चों के लिए प्रतीक्षा का समय बहुत उबाऊ हो सकता है इसलिए अच्छा हो अगर अपने और उसके समय बिताने के लिए किताबों, पत्रिकाओं या कॉमिक्स जैसी चीजें लेकर आयें। छोटे बच्चे के लिए उसका कोई प्यारा खिलौना भी लाया जा सकता है।

कुछ अदालतों में कैफेटेरिया होता है और अधिकतर अदालतों में खाने–पीने के सामान की वेंडिंग मशीन होती है। लेकिन आपको यह पहले से पूछ लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है आप अपने साथ कुछ खाने की सामग्री लाना चाहें।

अदालत देखने जाना

कोई काम पहली बार करना किसी के लिए आसान नहीं होता और अधिकतर बच्चे पहले कभी अदालत में नहीं गये होते हैं। ज्यादातर लोगों को गवाह बनना बेहतर लगता है यदि उन्हें पहले से पता हो कि वहाँ क्या हो सकता है और वे अदालत में घूम आये हों।

अदालत में जाना तब और भी सहायक होता है जब यह फैसला करना हो कि कौन–सा विशेष उपाय चुनना है। यदि आपका बच्चा किसी और इमारत में टेलीविजन लिंक कमरे से अपनी गवाही दे रहा हो तो उसे अदालत की जगह वहाँ जाना चाहिए।

इस विजिट की व्यवस्था आमतौर पर वीआईए (VIA), गवाह सेवा, रिपोर्टर या वकील द्वारा की जाती है।

हो सकता है कि आपका बच्चा अदालत और विशेष उपायों को सीडी रॉम पर देखना पसंद करे। सीडी रॉम देखने के लिए उस व्यक्ति से कहें जिसने आपके बच्चे को गवाह के रूप में बुलाया है।

सूचना देना

आपके बच्चे को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यदि आप प्रोक्योरेटर फिस्कल, रिपोर्टर, हितरक्षक (safeguarder) या वकील से बात कर सकें और उन्हें बता सकें कि किस बात से आपके बच्चे को गवाही देने में मदद मिल सकती है – तो अच्छा रहेगा। वीआईए (VIA) और गवाह सेवा भी खुशी से आपकी बात सुनेंगे।

कृपया याद रखें, ऐसी कोई भी सूचना, जो आपके बच्चे के गवाही देने को प्रभावित कर सकती है, उसे अन्य लोगों को बताना आवश्यक है। नीचे लिखी बातों के बारे में किसी को बताना विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है:

- क्या हो रहा है, इस बारे में आपका बच्चा कितना समझता है?
- आपके बच्चे की समझ का स्तर क्या है?
- आपका बच्चा कितनी देर तक किसी बात पर ध्यान केन्द्रित कर सकता है? ध्यान देने में वह कितना अच्छा है?
- आपके बच्चे में कितना आत्मविश्वास है?
- क्या आपका बच्चा बहुत शर्मीला या अपने आप में सिमटा हुआ है?
- क्या आपका बच्चा इंटरव्यू किये जाने के बारे में परेशान है?
- क्या आपके बच्चे को बोलने, सुनने या देखने में कोई कठिनाई है?
- क्या आपके बच्चे को कोई मानसिक या शारीरिक विकलांगता है?
- क्या आपका बच्चा कोई दवा लेता है?
- क्या आपका बच्चा किसी थेरापिस्ट या विशिष्ट क्लीनिक में जाता है?
- आपका बच्चा अदालत की किन बातों के बारे में चिंतित है?
- क्या कोई ऐसे दिन या समय हैं, जिन्हें बचाये जाना है, जैसे कि छुट्टी के दिन या किसी दिन का वह समय जब छोटा बच्चा सोता है?
- आपका बच्चा लोगों या शरीर के अंगों के लिए कौन से 'विशेष' शब्दों का प्रयोग करता है (यदि उसे गवाही देते समय उनका प्रयोग करना पड़े)?

मुकदमे का नतीजा

कोई मुकदमा कितना लंबा चलेगा– इस बारे में कभी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कुछ मामले केवल एक दिन चलते हैं, जबकि कुछ कई दिन खिंच जाते हैं और कुछ उससे भी ज्यादा। आमतौर पर, यह इस पर निर्भर है कि मामले में कितने गवाह हैं और वे गवाही देने में कितना समय लगाते हैं।

जब वकीलों ने आपके बच्चे से सवाल पूछने का काम पूरा कर लिया हो तो जज उसे बतायेंगे कि उनका काम पूरा हो चुका हो और वह जा सकता है। यदि कोई संदेह हो तो सहायक व्यक्ति पता लगा सकता है। आपके बच्चे का गवाह बनना समाप्त हो चुका है और उसे दोबारा नहीं आना पड़ेगा।

जब सभी गवाहों की गवाहियाँ सुनी जा चुकती हैं, तब जज, शेरिफ़ (या जूरी) को किसी नतीजे पर पहुँचना या फैसला करना पड़ता है।

आपराधिक मामलों के तीन नतीजे हो सकते हैं:

- **दोषी है** का मतलब है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि अभियुक्त ने अपराध किया या अपराध का कुछ हिस्सा किया। इसके बाद जज से कहा जायेगा कि वे उसकी सजा का विचार करें।
- **साबित नहीं हुआ या दोषी नहीं है** का अर्थ है कि अभियुक्त को 'बगैर वाजिब शक' के दोषी साबित करने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं, या जज या जूरी नहीं मानते कि अभियुक्त ने अपराध किया है। इन दोनों नतीजों का अर्थ यह है कि अभियुक्त को अदालत से मुक्त किया जाता है और वह जा सकता है।

बच्चों की सुनवाई के मामले में शेरिफ़ फैसला करता है कि क्या साबित हुआ है और मामले को फिर से बच्चों की सुनवाई के लिए भेजा जाये या नहीं। इसके बाद क्या होना है, इसका फैसला बच्चों की सुनवाई अदालत करेगी।

आपराधिक मामलों में अंतिम नतीजा कोई आपको बतायेगा। बच्चों की सुनवाई के मामलों में, जहाँ बच्चों की गोपनीयता की रक्षा की जाती है, यह सूचना अधिक सीमित रखी जा सकती है।

यदि आप किसी विशेष फैसले या सजा के बारे में किसी से बात करना चाहते हैं या उसकी व्याख्या चाहते हैं तो आपको वीआईए (VIA), रिपोर्टर या वकील से संपर्क करना चाहिए।

अन्य उपलब्ध सहायता

आपराधिक पीड़ित मुआवजा दावाः यदि आपका बच्चा किसी अपराध का शिकार हुआ है तो आप उसकी ओर से आपराधिक पीड़ित मुआवजे के लिए आवेदन करने पर विचार कर सकते हैं।

दावे का फॉर्म मिल सकता हैः

The Criminal Injuries
Compensation Authority (CICA)
Tay House
300 Bath Street
Glasgow
G2 4JR

फोनः 0141 331 2726

यदि आपको फॉर्म भरने में मदद की जरूरत है, तो आप अपने स्थानीय पीड़ित सहायता कार्यालय या किसी वकील से पूछ सकते हैं।

पीड़ित अधिसूचना योजनाः यदि आपका बच्चा किसी अपराध का शिकार हुआ है और यदि अभियुक्त को चार वर्ष या अधिक के लिए जेल भेजा गया है, तो आप और आपका बच्चा, पीड़ित अधिसूचना योजना में भाग लेने के अधिकारी हैं। जब भी अभियुक्त जेल से छूटने वाला होता है, तब यह योजना उसकी सूचना पीड़ित और उनके परिवार वालों को देती है। यदि आप इसके अधिकारी हैं, तो आपको वीआईए (VIA) से इसके बारे में पत्र और पुस्तिका प्राप्त होगी।

पीड़ित सहायता स्कॉटलैंडः सभी मामलों में, स्थानीय सहायता सेवाओं से बात करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पीड़ित सहायता स्कॉटलैंड की हेल्पलाइन **0845 603 0213** आपको अपने स्थानीय कार्यालय का पता और फोन नम्बर दे सकती है। इन स्थानीय सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी अदालत गवाह सेवा या वीआईए (VIA) से भी प्राप्त हो सकती है।

स्कॉटिश कैदी परिवार हेल्पलाइनः यदि आप और आपका बच्चा, जेल भेजे गये किसी अभियुक्त के रिश्तेदार हैं और आपको किसी सूचना या सहानुभूतिपूर्वक सुनने वाले की आवश्यकता है तो आप फ्री फोनः **0500 83 93 83** पर उनकी हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

टिप्पणियाँ

हो सकता है कि इन सेवाओं ने आपके बच्चे की कैसे मदद की और कैसे उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है – इस बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हों।

यदि आप, भविष्य में बाल गवाहों और उनकी देखभाल करने वालों की सहायता के बारे में कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, तो कृपया वीआईए (VIA), बच्चों के रिपोर्टर या वकील को बतायें। गवाह सेवा भी आपसे टिप्पणी करने को कह सकती है।

याद रखने योग्य बातें

इस मामले को अदालत ले जाने से संबंधित सभी लोग यह समझते हैं कि यह आपके और आपके बच्चे के लिए कठिनाई का समय है। अपनी चिंताओं और भय के बारे में कृपया उनसे बात करें। वे आपकी मदद करने के लिए हैं।

- यह पुस्तिका और बाल गवाही पुस्तिकायें आपकी और आपके बच्चे की यह समझने में मदद करेंगी कि गवाह बनने का क्या मतलब है।
- सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा अपनी गवाह पुस्तिका को समझता है और उसे प्रश्न पूछने का मौका मिलता है।
- यदि आपसे और आपके बच्चे से अदालत देखने की पेशकश अब तक नहीं की गई है तो जल्दी ही उसकी माँग करें।
- सुनिश्चित करें कि अदालत में मुकदमा शुरू होने से पहले आपके पास सभी आवश्यक जानकारी है।
- अदालत या टीवी लिंक कमरा कहाँ है और आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे – यह पहले से पता कर लीजिए।

गवाह के रूप में आपके बच्चे का सबसे महत्त्वपूर्ण काम है – सच बोलना।

आपका सबसे महत्त्वपूर्ण काम है – इस बारे में अपने बच्चे को ज्यादा आश्वस्त महसूस करने में मदद देना।

उससे सच बोलने के महत्त्व के बारे में चर्चा करें।

अपने बच्चे को हरगिज़ न बतायें कि उसे क्या कहना है और उसके साथ उसके उत्तरों का पूर्वाभ्यास न करें।

धन्यवाद!

उपयोगी संपर्क पतों का विवरण

पुलिस अधिकारीः

प्रोक्योरेटर फिस्कलः

बच्चों का रिपोर्टरः

हितरक्षकः

वकीलः

पीड़ित सूचना एवं परामर्श (वीआईए):

गवाह सेवाः

पीड़ित सहायता स्कॉटलैंडः

सहायक व्यक्तिः

आपके नोट्स

इस दस्तावेज की अन्य प्रतियाँ ऑडियो, बड़े अक्षरों और सामुदायिक भाषाओं में, अनुरोध करने पर उपलब्ध हैं।
कृपया संपर्क करें – 0131 244 2213।

© क्राउन कॉपीराइट 2005

यह दस्तावेज़ स्कॉटिश प्रशासन की वेबसाइटः www.scotland.gov.uk पर भी उपलब्ध है।

Astron B41394 06/05 (Hindi)

अन्य प्रतियाँ उपलब्ध हैं–
Blackwell's Bookshop
53 South Bridge
Edinburgh
EH1 1YS

फोन द्वारा ऑर्डर और पूछताछ
0131 622 8283 अथवा 0131 622 8258

फैक्स द्वारा ऑर्डर
0131 557 8149

ई–मेल द्वारा ऑर्डर
business.edinburgh@blackwell.co.uk

यह दस्तावेज़, मूल की हूबहू प्रतिकृति समझा जा सकता है

w w w . s c o t l a n d . g o v . u k